

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9671

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 09/12/25

अप्रार्थीगण

1 चेनाराम 2 अचलाराम पिसरान  
दमाराम 3 जोगाराम पुत्र देदाराम  
4 भंवरी देवी पत्नि भगाराम  
लुम्भाराम पुत्र देदाराम जाति  
जाट निवासी सादुलाणियो का  
तला सनावडा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियो  
का तला सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-499/2025

दिनांक- 01/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सादुलाणियो का तला पटवार क्षेत्र सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 1184/994 रकबा 3.1080 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाही  
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित  
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश  
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क  
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर  
अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9672-75

दिनांक- 09/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सनावडा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चेनाराम पुत्रदमाराम वगैरह जाति जाट निवासी सादुलाणियो का तला सनावडा तहसील  
व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगणअमरी पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियो का तला सनावडा तहसील व  
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

